भा.कृ.अनु.प. – केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
ICAR - Central Institute for Arid Horticulture
Sriganganagar Highway, Beechwal Indl. Area Post Office, Bikaner (Raj.)-334001
Fax : 0151-2250145 Email : ciah@nic.in

पत्रावली क्रमांक:07(ii)06/CS/Auction of Farm Produce/2026-27 2493 दिनांक:27.08.2026

संस्थान के फार्म प्रक्षेत्र के रिक्त भू-भागए सिंचाई नालियों के आस-पास प्रचूर मात्रा में उगी हुई हरी घास/सेवण घास/धामण घास की खुली नीलामी संस्थान प्रक्षेत्र कार्यालय में दिनांक 02.09.2026 को 11.00 बजे आयोजित की जावेगी।

नियम व शर्तें :

1. संस्थान के फार्म प्रक्षेत्र के रिक्त भू-भागए सिंचाई नालियों के आस-पास प्रचूर मात्रा में उगी हुई हरी घास/सेवण घास/धामण घास की खुली नीलामी की जानी है।
2. संस्थान के फार्म प्रक्षेत्र के रिक्त भू-भागए सिंचाई नालियों के आस-पास प्रचूर मात्रा में उगी हुई हरी घास/सेवण घास/धामण घास जिसकी नीलामी की जानी है, इस बाबत किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु संस्थान के प्रभारी फार्म से संपर्क किया जा सकता है।
3. नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को बयाना राशि के रुप में **रु. 5000/-** जमा कराने होगें।
4. जिस व्यकित के नाम से बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का 50% (पचास प्रतिशत) मौके पर ही जमा कराना होगा। शेष राशि संस्थान के बोली स्वीकार्य बाबत पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर जमा करानी होगी। तत्पश्चात ही सफल बोलीदाता को कार्य प्रारंभ करने का अनुबंध (नोन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार करने पर कार्यादेश जारी किया जावेगा एवं ठेकेदार द्वारा तुडाई कार्य शुरु किया जावेगा।
5. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में बोली की सम्पूर्ण राशि जमा न कर पाने की अवस्था में उसके द्वारा जमा करायी गयी बयाना राशि एवं बोली की 50% (पचास प्रतिशत) राशि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जावेगी। साथ ही उसके पक्ष में स्वीकृत बोली को रद्द कर दिया जायेगा। किस स्थिति में द्वीतीय अधिकतम बोली दाता की बोली स्वीकार करने या हरी घास/सेवण घास/धामण घास के विक्रय हेतु पुन: नीलामी आयोजित करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
6. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि फार्म प्रक्षेत्र के रिक्त भू-भागए सिंचाई नालियों के आस-पास प्रचूर मात्रा में उगी हुई हरी घास/सेवण घास/धामण घास की कटाई के दौरान वृक्षों और संस्थान के अन्य बगीचों/वृक्षों एवं अन्य संपत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुचें। वृक्षों के बगीचे या उसके आस-पास आग जलाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
7. संस्थान से अधिकार पत्र मिलने के पश्चात हरी घास /सेवण/धामण घास की कटाई कर ले जाने का कार्यादेश जारी होने के **एक माह** में पूर्ण कर लेना होगा इसके पश्चात समय बढोतरी नहीं की जावेगी। तत्पश्चात ठेकेदार का कोई हक हरी घास पर नही रहेगा। इस अवधि में हरी घास /सेवण/धामण घास की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ठेकेदार का ही होगा।
8. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के स्थानीय करों इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।
9. फार्म प्रक्षेत्र के प्रखण्डों में उगी हुई हरी घास /सेवण/धामण घास की कटाई का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर तकनीकी कर्मचारी (खण्ड) की देखरेख में प्रात: 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य ही सम्पन्न करना होगा। रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश में घास की कटाई नही होगी। संस्थान में कार्यरत बन्दी श्रमिकों

को घास कटाई के लिये नही लगाना होगा। अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा। कटाई की गयी हरी घास /सेवण/धामण घास को संस्थान के बाहर ले जाने से पहले गेट-पास लेना अनिवार्य है।

12. हरी घास /सेवण/धामण घास की कटाई, भण्डारण, रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही करायेगा।

13. किसी भी प्राकृतिक आपदा (वर्षा, आंधी-तूफान, पशु एवं पक्षियों से नुकसान इत्यादि) एवं अन्य किसी भी कारण से हरी घास /सेवण/धामण घास को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नही होगी

14. हरी घास कटाई अनुबंध के कार्य सम्पादन हेतु लगाए जाने वाले श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।

14. ठेकेदार (सफल बोलीदाता) की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) घास की कटाई का कार्य पुर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

15. अधिकतम बोलीदाता के हक में बोली छोडने या न छोडने का अधिकार संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय ही अंतिम होगा।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण : By Email

1. सूचना पट्ट - कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
2. सूचना पट्ट - प्रक्षेत्र कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
3. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट बोक्स सं.07 जोडबीड, शीवबाडी, बीकानेर।
4. सूचना पट्ट - केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरु क्षेत्रीय परिसर, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर।
5. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र,, पोस्ट बोक्स सं.08, जोडबीड, शीवबाडी, बीकानेर।
6. सूचना पट्ट - केन्द्रीय रुक्ष क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलानगर, बीकानेर।
7. सूचना पट्ट - स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय, बीछवाल, बीकानेर।
8. सूचना पट्ट - राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविधालय, विजय भवन पैलेस परिसर, पशु चिकित्सा विश्वविधालय रोड, दीन दयाल उपाध्याय सर्किल के नजदीक, बीकानेर - 334001।
9. प्रभारी फार्म - भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. व्यैक्तिक सहायक (निदेशक), भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
11. प्रभारी, ए.के.एम.यु., भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को संक्षिप्त निविदा सूचना सहित संस्थान की वैब साईट पर अपलोड करने हेतु।

Sh. B.R. Khatri 27/8/26

भा.कृ.अनु.प. – केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
ICAR - Central Institute for Arid Horticulture
Sriganganagar Highway, Beechwal Indl. Area Post Office, Bikaner (Raj.)-334001
Fax : 0151-2250145 Email : ciah@nic.in

नीलामी सूचना

सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की और से निदेशक, भाकृअनुप-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान प्रक्षेत्र के विभिन्न प्रखण्डो में निम्न की खुली नीलामी दिनांक 02.09.2026 को 11.00 बजे की जावेगी:–

1	संस्थान के फार्म प्रक्षेत्र के रिक्त भू-भाग, सिंचाई नालियों के आस-पास प्रचूर मात्रा में उगी हुई हरी घास/सेवण घास/धामण घास की खुली नीलामी।	EMD Rs. 5000.00

उपरोक्त नीलामी में शामिल होने हेतु इच्छुक फर्म/व्यक्ति बयाना राशि जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकते है। इस संबंध में विस्तृत नियम एवं शर्ते संस्थान के प्रशासनिक कार्यालय एवं प्रक्षेत्र कार्यालय [10वें कि.मी. का पत्थर, श्री गंगानगर हाईवे, बीछवाल, बीकानेर] के सूचना पट्ट तथा संस्थान की वेबसाइट **https://icar-ciah.org** पर उपलब्ध है

सहायक प्रशासनिक अधिकारी